समक्ष–विद्युत लोकपाल रायपुर छत्तीसगढ़
(पीठासीन अधिकारी – एस.के. सोनी)

पुनर्विलोकन आ क्र. 03/2026

संस्थित दिनांक 10/02/2026

आनंद सुराना, पिता स्व. देवराज सिंह सुराना
निवासी आई.डी.बी.आई. बैंक के बाजू में सिविल लाईंस
जिला–रायपुर (छ.ग) ..... पुनर्विलोकनकर्त्ता

विरूद्ध

1. कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा) संभाग
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कं.मर्या.,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग)

2. श्री राजेंद्र सुराना, पिता स्व. देवराज सिंह सुराना
धरमपुरा, रायपुर (छ.ग)
पत्राचार का पता –36/395, गुरूनानेश कृपा
आई.डी.बी.आई बैंक के पास, सिविल लाईन रायपुर
जिला–रायपुर (छ.ग) ..... गैर पुनर्विलोकनकर्त्ता

निर्णय
(दिनांक 11/03/2026 को घोषित)

1. प्रस्तुत पुनर्विलोकन विद्युत लोकपाल रायपुर द्वारा अपील प्रकरण क्र. 06/2025 में पारित निर्णय दिनांक 20/01/2026 के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (जिसे आगे विद्युत फोरम कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 20/02/2025 को अपास्त कर यह आदेशित किया गया है कि विवादित परिसर पर स्थापित विद्युत

कनेक्शन बी.पी. क्र. 1000466867 को इस अपील न्यायालय के आदेश दिनांक से 1 माह के भीतर विच्छेदित करे। चूक किये जाने की स्थिति पर उक्त विद्युत कनेक्शन से संबंधित किसी भी बकाया या लेनदारी के लिए अपीलार्थी राजेंद्र सुराना का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

2. प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन में पुनर्विलोकनकर्त्ता ने निम्नलिखित प्रमुख अनुतोष चाहा हैः—

1. माननीय लोकपाल के आदेश के अनुसार आवेदक को नया कनेक्शन दिया जाना है लेकिन लाईसेंसी द्वारा नया कनेक्शन प्रदान करने में विलंब हो रहा है। अतः नवीन कनेक्शन जोड़ने की औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु तीन माह की अवधि प्रदान की जाये। तब तक परिसर में लगे घरेलू विद्युत कनेक्शन को पुनः चालू करने का आदेश प्रदान करें।

2. माननीय लोकपाल से निवेदन है कि लाईसेंसी द्वारा नये कनेक्शन दिये जाने तक पूर्व विद्यमान कनेक्शन को यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

3. आदेश के अनुपालन में आवेदक (कब्जेदार) का घरेलू विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया है अतः कब्जेदार के आधार पर विद्युत कनेक्शन प्रदान करने का आदेश प्रदान किया जाये।

3. प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन के निराकरण के पूर्व यह कह देना समीचीन होगा कि किसी भी न्याय निर्णयन अधिकारी की पुनर्विलोकन की शक्ति सीमित होती है। पुनर्विलोकन के द्वारा पारित आदेश को पूरी तरह से बदला नही जा सकता। आदेश के मूल अनुतोष में कोई परिवर्तन संभव नही होता, केवल तकनीकी त्रुटियों के संबंध में या मूल आदेश से संदर्भित अन्य प्रासंगिक बातों के संबंध में ही संशोधन किये जाने हेतु पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

4. इस मामले में पुनर्विलोकनकर्त्ता ने ऊपर उल्लेखित अनुसार नवीन कनेक्शन प्रदान किये जाने में हो रहे विलंब के कारण तीन माह की अवधि तक काटे गये विद्युत कनेक्शन को पुनः जोड़े जाने का निवेदन किया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीबूयूशन कंपनी लिमिटेड के सहायक अभियंता उप संभाग माना श्री आर.के. झा द्वारा पुनर्विलोकनकर्त्ता को लिखे गये पत्र दिनांक 27/02/2026 के अनुसार विद्युत कंपनी ने पुनर्विलोकनकर्त्ता द्वारा नये कनेक्शन और नाम परिवर्तन के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अब वांछित उक्त अनुतोष का कोई अर्थ नही है। पुनर्विलोकनकर्त्ता के समक्ष यह उपचार मौजूद है कि वह विद्युत कंपनी के उक्त आदेश के विरूद्ध संबंधित फोरम में जा सके।

5. पुनर्विलोकनकर्त्ता ने कब्जे के आधार पर विद्युत कनेक्शन प्रदान करने का जो अनुतोष ऊपर उल्लेखित अनुसार चाहा है वह एक नवीन अनुतोष है जिसके संबंध में उसे नियमानुसार पहले विद्युत कंपनी के पास जाना चाहिए और यदि विद्युत कंपनी से उसे

अनुतोष प्राप्त नही होता है तो उसके के पास फोरम और फिर विद्युत लोकपाल और माननीय उच्च न्यायालय में जाने का विकल्प प्राप्त है। पुनर्विलोकन आवेदन के द्वारा इस मामले में ऐसा कोई अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता।

उक्त विवेचन और निष्कर्ष उपरांत मैं प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन को सारहीन पाने से निरस्त करता हूँ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

निर्णय घोषित किया गया

—सही—
(एस.के. सोनी)
विद्युत लोकपाल

—सही—
(एस.के. सोनी)
विद्युत लोकपाल